न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2735–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 56/अपील/13–14.

मुजफ्फर अली अंसारी आत्मज स्व. नासिरूद्दीन अंसारी
निवासी बी–88 बारहदरी, बागदिलकुशा
रायसेन रोड, भोपाल
कृषक ग्राम कारीतलाई
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– मुमताज अंसारी आत्मज स्व. नासिरूद्दीन अंसारी
निवासी म.नं. 264, मेन रोड, खुशबू शादी हॉल
के सामने, देवकी नगर, बैरसिया रोड, भोपाल

2– मंसूर अली अंसारी आत्मज स्व. नासिरूद्दीन अंसारी
निवासी 9–6, जेल बाग रोड, बादशाह भाई का मकान,
मस्जिद के सामने, जिंसी, भोपाल

3– श्रीमती तहजीबुन निशा पत्नी अमीनुद्दीन अंसारी
निवासी तुलसीया का पुल मुफ्तीपुरा
(सिराजुद्दीन अंसारी बीड़ी वालों के पास)
गाजीपुर सिटी, जिला गाजीपुर (उ.प्र.)

4– श्रीमती नजबुन निशा पत्नी जलालुद्दीन अंसारी
निवासी ग्राम पोस्ट परसा, वाया मुबारकपुर
(मोहम्मदाबाद) जिला गाजीपुर (उ.प्र.)

5– श्रीमती फातिमा बेगम पत्नी मुजफ्फर अली अंसारी
निवासी बी–88, बारहदरी, बागदिलकुशा
रायसेन रोड, भोपाल
कृषक ग्राम कारीतलाई
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन अभिभाषक, आवेदक
श्री गुलाबसिंह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 3
श्री नवाब खॉ, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2
श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 4
श्री संदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभय पक्ष के माता–पिता नासिरूद्दीन अंसारी एवं हसबुन निशा के नाम से ग्राम कारीतलाई, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन स्थित भूमि सर्वे कमांक 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 111, 112 एवं 193 कुल किता 10 कुल रकबा 9.50 एकड़ तथा सर्वे कमांक 48/1, 49 एवं 50 कुल किता 3 कुल रकबा 3.19 एकड़ थी । उनकी मृत्यु उपरान्त उभय पक्ष के मध्य प्रकरण प्रचलित होकर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 189/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 19–11–2012 से प्रकरण तहसील न्यायालय के समक्ष पुनः विधिवत नामांतरण की कार्यवाही किये जाने हेतु प्राप्त हुआ । अपर आयुक्त के आदेश के पालन में तहसीलदार, गौहरगंज द्वारा दिनांक 25–4–2013 को आदेश पारित कर मृतक भूमिस्वामियों के सभी वारिसानों के नाम फौती नामांतरण स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–1–2014 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 31–7–2014 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 25–4–2013 इस शर्त के साथ स्थिर रखा गया कि अनावेदक कमांक 1 व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन व्यवहार वाद कमांक 3 ए/2011 के अंतिम निराकरण तक आवेदक एवं अन्य

अनावेदकगण के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करेगा । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है, न ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है, और न ही इस वैधानिक बिन्दु पर भी कोई विचार किया गया कि व्यवहार न्यायालय में स्थगन व स्वत्व का वाद लम्बित है । तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27–10–2010 के विपरीत नया प्रकरण कायम कर आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 मुमताज अंसारी एवं अनावेदिका कमांक 3 तहजीबुन निशा द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को छिपाकर कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है तथा उसमें आवेदक के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसे अपील में भी स्थिर रखा गया है, नामांतरण आदेश दिनांक 25–4–2013 पारित करा लिया गया है, और उपरोक्त तथ्यों की जानकारी तहसील न्यायालय को होने पर तहसील न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से मांगी गई है । उपरोक्त स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी आयुक्त द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1997 से आवेदक का कब्जा दर्ज है एवं भू–अभिलेख वर्ष 2011–12 में मुजफ्फर अली एवं मंसूर अली जीवित थे, अतः उन्हें भी तहसील न्यायालय द्वारा सुना जाना था, परन्तु उनको सुनवाई का अवसर नहीं देने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(4) आयुक्त द्वारा अनावेदक कमांक 1 को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से एकतरफा विवेचना कर आदेश पारित करने में कानून की गंभीर भूल की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 27–10–2010 से 5 बिन्दुओं पर उभय पक्ष को सुनकर प्रकरण का निराकरण के निर्देश दिये गये थे, जिनका पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि स्व. नासिरूद्दीन अंसारी द्वारा स्वयं की आय से 7000/– रूपये में क्रय की गई है, इसलिए प्रश्नाधीन सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं होकर स्वअर्जित सम्पत्ति है ।

(7) मुस्लिम विधि के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति अपने जीवनकाल में ही अंतरित कर चुका होता है, वह सम्पत्ति उसके वारिसानों को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं होती है, और वर्ष 1997 में भूमिस्वामी नासिरूद्दीन अंसारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक 2 का नामांतरण करा दिया गया है, इस कारण भी तहसीलदार एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक हैं ।

(8) आवेदक के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 24–11–2008 पंजीकृत दस्तावेज है, जो व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत भी हो चुकी है, इसके बावजूद भी वारिसाना नामांतरण करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है

तर्कों के समर्थन में 1997 आर.एन. 278, 2008 आर.एन. 423 एवं 2008 आर.एन. 94 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) ग्राम कारीतलाई की संशोधन पंजी क्रमांक 1 पर प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 28–12–2010 को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो चुका है ।

(2) अपर आयुक्त के आदेश के पालन में हल्का पटवारी द्वारा मृतक खातेदारों की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, और तहसीलदार द्वारा वारिसाना नामांतरण करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समयावधि के बिन्दु को अनदेखा कर सीधे गुण–दोष पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई ।

(4) आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि व्यवहार वाद में आदेश पारित होने तक आवेदक कब्जे में हस्तक्षेप न करें, ओर व्यवहार न्यायालय का

आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर कि क्या अपील विचारण के दौरान पुनर्विलोकन की अनुमति दी जा सकती है, इस बिन्दु पर तर्क श्रवण किये गये एवं प्रकरण आदेशार्थ नियता किया गया था, परन्तु उनके द्वारा प्रकिया विहीन गुण–दोष पर आदेश पारित कर दिया गया है, जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(7) व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश नहीं होकर अंतरिम आदेश है, और गुण–दोष पर व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः इस आधार पर तहसीलदार एवं आयुक्त के आदेश अवैध नहीं ठहराये जा सकते हैं ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 254, 1971 आर.एन. 441 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1997 में स्व. भूमिस्वामी नासिरूद्दीन अंसारी द्वारा आवेदक एवं उसके पक्ष में नामांतरण करा दिया गया था, इस स्थिति को अनदेखा करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) नामांतरण आदेश दिनांक 20–1–97 के विरूद्ध स्व. भूमिस्वामी नासिरूद्दीन अंसारी की मृत्यु होने के 13–14 वर्ष पश्चात प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपने छोटे भाईयों का हिस्सा हड़पने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई, इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, तब उन्हें व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहिए थी ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी जिन 5 बिन्दुओं का पालन करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया था, उन 5 बिन्दुओं का पालन तहसीलदार द्वारा नही किया गया है ।

(5) मुजफ्फर अली व मंसूर अली का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था, और वे जीवित भी है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई है ।

(6) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश इस आधार पर निरस्त किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही थी, परन्तु आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(7) अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अनावेदक कमांक 5 फातमा बेगम को आवेदक द्वारा मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह के समय मेहर अदा कर दिया गया था, और स्वत्व के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है ।

6/ अनावेदक कमांक 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 5 के ससुर की होकर उसके जेठ मुमताज असांरी एवं ननद तेहजीबुन निशा द्वारा हड़पने के उद्देश्य से राजस्व अभिलेखों में हेरा–फेरी कराई गई है, और प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा लगभग 13–14 वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसमें हस्तक्षेप करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) जब माता–पिता द्वारा पूर्व में ही प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कर अपने पुत्रों को सौप दी गई थी, ऐसी स्थिति में फौती नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर नहीं किया जा सकता है ।

(4) स्व. भूमिस्वामी नासिरूद्दीन अंसारी ने पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 24–11–2008 में प्रश्नाधीन भूमि का पारिवारिक बटवारा किये जाने का उल्लेख किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 को लाभ पहुंचाने की नीयत से नामांतरण किया गया है, जिसे स्थिर रखने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील

न्यायालय द्वारा दिनांक 25–4–2013 को बिना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किये नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने आदेश दिनांक 16–1–14 में इस पर विचार नहीं किया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए नामांतरण आदेश पारित किया जाये । उनके समक्ष जो वसीयत पेश हुई है उस पर भी नियमानुसार विचार किया जाये और व्यवहार न्यायालय के निर्णयों को भी ध्यान में रखा जाये ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–1–2016, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 16–1–14 एवं तहसीलदार, गौहरगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–4–2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेष के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर